संख्या-271/2026/162के-2/22-3-2026-17(1160)/23

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2026

विषय:- जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नेपाल पुत्र श्री लीलाधर, निवासी जनपद-कासगंज की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-18468/प्रो0अनु0(2)-315/2026/(बैठक दिनांक 20.04.2026), दिनांक 07.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नेपाल पुत्र श्री लीलाधर, जो नगला चोखे, थाना-सुन्नगढ़ी, जनपद-कासगंज का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 30-11-2008 को समय लगभग 11:30 बजे बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज रायफल व तमंचे से गोली मारकर सत्यराम की हत्या कर दी और लाश के ऊपर तेल डालकर आग लगा दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-187/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, कक्ष सं0-2, कासगंज के आदेश दिनांक 30.11.2016 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु रजिस्टर नं0-1 के अनुसार जमानत मुचलके पर रिहाई दिनांक 04-03-2023 तक लगभग 34 वर्ष है। बंदी द्वारा दिनांक 04-03-2023 तक 14 वर्ष, 02 माह, 18 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष, 11 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गई है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज के अनुसार बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से समाज को प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अभिमतानुसार मा0 उच्चतम न्यायालय में बंदी की अपील लंबित होने के कारण बंदी को रिहा किया जाना उचित नहीं है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बंदी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुए बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता व बंदी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432) सपठित जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नेपाल (बन्दी संख्या-95/16) पुत्र श्री लीलाधर, निवासी जनपद-कासगंज की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-162(1)के-2/22-3-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, कासगंज।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in